

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, भीलवाड़ा

(पीठासीन अधिकारी एल.आर.गुगरवाल आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 28/2018 अपील

श्री घासी पुत्र जगन्नाथ मीणा बनाम राजस्थान राज्य जरिये
निवासी टिकड़ तहसील जहाजपुर तहसीलदार, जहाजपुर
जिला भीलवाड़ा

—अपीलार्थी

—रेस्पोजेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956

विरुद्ध आदेश तहसीलदार, जहाजपुर बमामले

प्रकरण सं0 1114/2017 निर्णय दिनांक 28.12.2017

उपस्थित –

श्री राकेश जैन अधिवक्ता – अपीलार्थी की ओर से

श्री विपुल बापना राजकीय अभिभाषक – रेस्पोजेण्ट की ओर से

निर्णय

दिनांक 04.04.2018



अपीलार्थी की ओर से यह अपील राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत विरुद्ध आदेश तहसीलदार जहाजपुर बमामले प्रकरण सं0 1114/2017 निर्णय दिनांक 28.12.2017 के खिलाफ दिनांक 12.02.2018 को प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम टीकड़ तहसील जहाजपुर के खसरा नम्बर 1066/2 रकबा 3.00 बीघा भूमि पर अपीलार्थी का कब्जा होने की रिपोर्ट पटवारी हल्का द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत की । जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी के विरुद्ध धारा 91 एल आर एक्ट के तहत कार्यवाही कर निर्णय पारित किया जो विधि विरुद्ध होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी को सुनवाई का कोई समुचित अवसर प्रदान नहीं किया है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विरुद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय ने पटवारी हल्का के बयान नहीं लिये तथा पटवारी हल्का को जिरह का अवसर भी नहीं दिया गया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली का गहनता से अवलोकन किये बिना जल्दबाजी में उक्त निर्णय पारित किया है जो विधि विरुद्ध होने से निरस्तनीय है। अपीलार्थी का उक्त भूमि में कोई पश्चातवर्ती अतिक्रमण कभी नहीं रहा है। अधीनस्थ

न्यायालय ने अपीलार्थी को पश्चातवर्ती अतिक्रमण मानने में भारी भूल की है। अपीलार्थी का वर्तमान में कोई कब्जा नहीं है, जिससे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित सजा के आदेश को अपास्त कर सजा माफ़ फरमाया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है। अतः निवेदन है कि अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को अपास्त फरमाया जावे ।

प्रस्तुत अपील इस न्यायालय में दिनांक 16.02.2018 को पंजीबद्ध की जाकर विपक्षी को वजह जाहिर करने हेतु नोटिस जारी किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय से अपीलाधीन आदेश संबंधी रिकार्ड तलब किया गया ।

अपीलार्थी अधिवक्ता एवं राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई। बहस दौरान अपीलार्थी अधिवक्ता ने अपील में वर्णित कथन को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी को सुनवाई का कोई समुचित अवसर प्रदान नहीं किया है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विरुद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय ने पटवारी हल्का के बयान नहीं लिये तथा पटवारी हल्का को जिरह का अवसर भी नहीं दिया गया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली का गहनता से अवलोकन किये बिना जल्दबाजी में उक्त निर्णय पारित किया है जो विधि विरुद्ध होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी को पश्चातवर्ती अतिक्रमण मानने में भारी भूल की है। अपीलार्थी का उक्त भूमि में कोई पश्चातवर्ती अतिक्रमण कभी नहीं रहा है। पश्चातवर्ती अतिक्रमण होने संबंधी कोई रिकार्ड अधीनस्थ न्यायालय पर नहीं है एवं न ही कोई बेदखली आदेश पारित किये गये है। अपीलार्थी का वर्तमान में कोई कब्जा नहीं है, जिससे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित सजा के आदेश को अपास्त कर सजा माफ़ फरमाया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है। निवेदन है कि अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को अपास्त फरमाया जावे ।

रेस्पोंडेंट की ओर से राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि श्री घासी पुत्र जगन्नाथ मीणा निवासी टिकड़ के द्वारा ग्राम टिकड़ के आराजी नं. 1066/2 रकबा 14.00 बीघा भूमि किस्म चरनोट में से 3.00 बीघा भूमि पर अतिक्रमण करने पर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत तहसीलदार जहाजपुर द्वारा प्रकरण सं. 1114/2017 दर्ज कर धारा 91 के तहत नोटिस जारी कर घासी पुत्र जगन्नाथ मीणा द्वारा विगत वर्ष में भी अतिक्रमण कार्यवाही में बेदखल करने पर पुनः अतिचार कर लेने से पश्चातवर्ती अतिचार करने के कारण 15 दिवस के सिविल कारावास एवं शास्ति 150/-रु. से दिनांक 28.12.2017 को दण्डित किया गया है जो



अतिरिक्त निम्ना कलक्टर
भीलवाड़ा (राज.)

नियमानुसार है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज की जाकर न्यायालय तहसीलदार जहाजपुर का निर्णय यथावत रखे जाने का आदेश प्रदान करावें।

पत्रावली का आद्योपान्त गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया और बहस पर मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध अधीनस्थ न्यायालय के आदेश का अवलोकन किया गया। जिसके उपरान्त यह पाया कि ग्राम टिकड़ तहसील जहाजपुर के आराजी नं. 1066/2 रकबा 14.00 बीघा भूमि राजस्व रिकार्ड में किस्म चरनोट दर्ज रिकार्ड है। तहसीलदार जहाजपुर के निर्णय अनुसार अतिक्रमी का उक्त आराजी नं. 1066/2 में रकबा 3.00 बीघा भूमि पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण होने से 15 दिन के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है एवं 150/- शास्ति आरोपित की गयी। उक्त आराजी किस्म चरनोट भूमि है। अतिक्रमी की देखा देखी कर अन्य व्यक्ति भी राजकीय भूमि पर अतिक्रमण करने के प्रयासरत है।

अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार जहाजपुर द्वारा पटवारी हल्का की रिपोर्ट अनुसार आराजी नं० 1066/2 रकबा 3.00 बीघा भूमि पर अतिक्रमण कर लिये जाने से प्रस्तुत रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज किया गया और अपीलान्त को अतिक्रमी मानते हुए अतिक्रमण से बेदखल किये जाने के साथ साथ 15 दिवस के सिविल कारावास की सजा भुगताए जाने व उक्त भूमि के वार्षिक लगान का 50 गुणा आर्थिक जुर्माना कुल 150/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित करने का आदेश भी पारित किया गया था। नियत पेशी दिनांक को अपीलान्त अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित भी हुआ और उसके द्वारा विवादग्रस्त आराजी पर अपना अतिक्रमण भी स्वीकार किया है। जिससे स्पष्ट है कि अपीलान्त के द्वारा उक्त चरनोट भूमि पर अनाधिकृत रूप से पश्चातवर्ती अतिक्रमण करने का अपराध किया है।


ग्राम टिकड़ तहसील जहाजपुर के आराजी नं. 1066/2 किस्म चरनोट पर अपीलार्थी का अतिक्रमण होने से राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955 की धारा 16 के तहत उक्त श्रेणी की भूमि प्रतिबंधित श्रेणी में होने से अपीलार्थी को किसी प्रकार के अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते हैं। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलान्त को दोषी मानते हुए अपीलाधीन आदेश से दण्डित करते हुए शास्ति का आरोपण किया जाकर 15 दिवस के सिविल कारावास की सजा से व अर्थदण्ड से दण्डित किया जाकर अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने का जो आदेश पारित किया गया है वह युक्तियुक्त होकर विधि सम्मत है। अधीनस्थ न्यायालय ने इसमें कोई त्रुटि नहीं की है। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश यथावत रखा जाने योग्य है एवं अपील अपीलार्थी खारिज योग्य है। अतएव—

आदेश

अपीलान्त की ओर से प्रस्तुत अपील राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 विरुद्ध आदेश तहसीलदार, जहाजपुर बमामले प्रकरण सं० 1114 /2017 निर्णय दिनांक 28.12.2017 के क्रम में खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 28.12.2017 यथावत रखे जाने के आदेश दिये जाते हैं। निर्णय की प्रति मय तलविदा रिकार्ड अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, जहाजपुर को पालनार्थ भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 04.04.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।




4.4.18
(एल.आर.गुगरवाल)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
भिलवाड़ा (राज.)